

## Timeline for Application for Compounding of Group Housing

The timelines for the service has been notified under The Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act 2012.

Particulars	Notification Details	Number of Days
<b>Timeline for the Service Delivery</b>		
Application for Compounding of Group Housing	1104/VII-2-17/66-MSME/2013 dated 31.10.2017	30 days
<b>Timeline for the Settlement of Appeal</b>		
Any investor aggrieved by the orders of the Competent Authority may appeal to the State Empowered Committee	711(1)/ VII-2-16/66-MSME/2013 dated 31.03.2017	30 days
Any investor aggrieved by the orders of The District Empowered Committee may appeal to the State Empowered Committee	711(1)/ VII-2-16/66-MSME/2013 dated 31.03.2017	30 days
Any investor aggrieved by the orders of The State Empowered Committee may appeal to the State Government	711(1)/ VII-2-16/66-MSME/2013 dated 31.03.2017	30 days

9110  
31/2/2017

उत्तराखण्ड शासन  
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग  
संख्या: 1104/VII-2-17/66-एम0एस0एम0ई0/2013  
देहरादून, दिनांक: 31 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या-30/XXXVI(3)/2013/62(1)/2012 दिनांक 28.01.2013 द्वारा जारी "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम-2012" की धारा-10 तथा शासन की अधिसूचना संख्या:-752/VII-2-15/66-एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 18.08.2015 एवं संख्या:-2325/VII-2-15/66-एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 18.12.2015 को अवक्रमित करते हुए "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली-2015" के नियम-6 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा उद्यमियों को जारी की जाने वाली अनुज्ञा/अनापत्ति/अनुज्ञापन हेतु समय-सीमा संलग्न प्रारूपानुसार पुनः निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्नक-अनुसूची-1, भाग क, ख, ग।

भवदीया,

o/c (मनीषा पंवार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 1104(1)/VII-2-17/66-एम0एस0एम0ई0/2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 मुख्य प्रधान सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
- 2 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4 मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
- 5 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 6 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपालपानी, देहरादून।
- 8 निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 9 निजी सचिव-मा0 लघु उद्योग मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 10 समस्त महाप्रबंधक/प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक उद्योग।
- 11 निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा/सि,

o/c (डा0 आर0 कनेशा कुमार)  
अपर सचिव।

8.	आवास विभाग	1. नवीन आवेदन-युप हाउसिंग।	स्थापना से पूर्व	30 दिन
		2. आवेदन-अतिरिक्त बदलाव-युप हाउसिंग।	स्थापना से पूर्व	30 दिन
		3. स्व-समाशोधन-युप हाउसिंग।	स्थापना से पूर्व	30 दिन
		4. समाशोधन-युप हाउसिंग।	स्थापना से पूर्व	30 दिन
		5. रिओपनिंग-युप हाउसिंग।	स्थापना से पूर्व	30 दिन
		6. अनुमोदित मानचित्र का समय विस्तार -युप हाउसिंग।	स्थापना से पूर्व	30 दिन
		7. पूर्णत सह अविभाग प्रमाण पत्र-युप हाउसिंग।	संचालन से पूर्व	8 दिन (7 दिन निरीक्षण के लिये एवं 1 दिन प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये)
		8. प्लिथ लेविल निरीक्षण-युप हाउसिंग।	संचालन से पूर्व	7 दिन (सूचना मिलने पर)
		9. मध्यम एवं उच्च जोखिम भवनों का ऑक्जुपेंसी प्रमाण पत्र आवर्ती नवीनीकरण-युप हाउसिंग।	संचालन के बाद	30 दिन
		10. आवेदन-गैर-आवासीय।	स्थापना से पूर्व	30 दिन

*Handwritten signature*

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	प्रदान की जाने वाली सेवा का स्तर	समय-सीमा
		11. आवेदन-अतिरिक्त बदलाव- गैर-आवासीय।	स्थापना से पूर्व	30 दिन
		12. स्व-समाशोधन- गैर-आवासीय।	स्थापना से पूर्व	30 दिन
		13. समाशोधन- गैर-आवासीय।	स्थापना से पूर्व	30 दिन
		14. पुनः संचालन- गैर-आवासीय।	स्थापना से पूर्व	30 दिन
		15. अनुमोदित मानचित्र का समय विस्तार - गैर-आवासीय।	स्थापना से पूर्व	30 दिन
		16. पूर्णता/ऑक्जुपेंसी प्रमाण पत्र- गैर-आवासीय।	संचालन से पूर्व	8 दिन (7 दिन निरीक्षण के लिये एवं 1 दिन प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये)
		17. प्लिथ लेविल निरीक्षण- गैर-आवासीय।	संचालन से पूर्व	7 दिन (सूचना मिलने पर)
		18. मध्यम एवं उच्च जोखिम भवनों का ऑक्जुपेंसी प्रमाण पत्र आवर्ती नवीनीकरण- गैर-आवासीय।	संचालन के बाद	30 दिन